



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233746
CG-DL-E-25022022-233746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 827]
No. 827]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

का.आ. 857(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के प्रथम अनुसूची के मद 6 के अधीन आने वाले ऐसे उद्योग की सेवाएँ, जो खाद्य पदार्थ में लगे हुए हैं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी ;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3509(अ), तारीख 27 अगस्त, 2021 द्वारा अंततः, तारीख 28 अगस्त, 2021 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि और छह महीने के लिए उक्त उद्योग को लोकोपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उप खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थ में लगे हुये उद्योग की सेवाएँ 28 फरवरी, 2022 और छह महीने की अवधि के लिए लोकोपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2022

S.O. 857(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in food stuffs, which is covered under item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purpose of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28th August, 2021 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3509(E), dated the 27th August, 2021;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in food stuffs to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 28th February, 2022.

[F. No. S-11017/5/91-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.